

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर

बनाम

मै० सेथर वेसल्स लिमिटेड एवं अन्य

15 मई 2007

(डॉ० अरिजीत पसायत एवं एस०एच० कपाडिया, न्यायाधीशगण)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944:

धारा-3: विभिन्न घटकों और भागों को जोड़कर बाँयलर/झिल्ली सेल प्रौद्योगिकी/विलायक निष्कर्षण संयंत्र का निर्माण/संनिर्माण - उत्पाद शुल्क भुगतान करने का दायित्व - निर्धारित: मौके पर संयोजित किए गए संयंत्रों और मशीनरी की उत्पादनीयता से संबंधित मुद्दे को परिपत्र संख्या 58/1/2002 - सीएक्स दिनांक 15 जनवरी, 2002 में स्पष्ट किया गया है - चूंकि उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण द्वारा तथ्यात्मक पहलू पर विचार नहीं किया गया था, विरदी ब्रदर्स वाले मामले और परिपत्र के आलोक में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस भेजा जाता है।

वर्तमान अपील में विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या विभिन्न

घटकों और भागों को जोड़कर साइट पर बॉयलर/झिल्ली सेल प्रौद्योगिकी/सॉल्वेंट निष्कर्षण संयंत्र का निर्माण/संनिर्माण, अचल संपत्ति का अस्तित्व लाता है या क्या यह उत्पाद शुल्क के लिए उत्तरदायी नई विपणन वस्तु के निर्माण के बराबर है।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित:

1.1. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा परिपत्र संख्या 58/1/2002-सीएक्स दिनांक 15 जनवरी, 2002 जारी किया गया है। परिपत्र यह इंगित करता है कि इसका उद्देश्य मौके पर संयोजित किए गए संयंत्र और मशीनरी की उत्पादनीयता के प्रश्न को स्पष्ट करना था।

[चरण संख्या 6] [704 - बी]

1.2. मामले को निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है: (क) मौके पर निर्मित वस्तुओं को शुल्क योग्य बनाने के लिए उनकी एक नई पहचान, प्रकार और उपयोग, विशिष्टता होनी चाहिए, जो उत्पादन में प्रयुक्त/घटकों से भिन्न हो। आगे, ऐसे परिणामी वस्तुओं को विपणन योग्य होने के अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क दर सूची में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए यानी उन्हें बाजार में ले जाया जा सकता है और बेचा जा सकता है, (भले ही वे वास्तव में बेचे न गए हों)।

वस्तु अचल नहीं होनी चाहिए।

(ख) जहां निवेश के प्रसंस्करण से एक विशिष्ट नए उत्पाद का निर्माण होता है जो कि विशिष्ट वाणिज्यिक नाम, पहचान और उपयोग (ऐसे उत्पाद को किसी संरचना में समाहित करने से पहले जो उन्हें अचल संपत्ति का हिस्सा बना देगा), ऐसी वस्तुओं पर उनकी पहचान, समामेलन से पूर्व की संरचना एवं अन्य अचल सम्पत्ति से परिवर्तन के तुरंत बाद उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

(ग) जहां किसी संरचना के निर्माण या संनिर्माण से पहचान में परिवर्तन होता है, जो एक अचल संपत्ति है, तो इसमें " माल " का कोई निर्माण शामिल नहीं होगा और कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा ।

(घ) एकीकृत संयंत्र/मशीनें समग्र रूप से 'माल' हो भी सकती हैं और नहीं भी । उदाहरण के लिए, सामग्री के परिवहन के लिए संयंत्र (जैसे संभालने के उपकरण) वास्तव में मशीनों का एक प्रणाली या संजाल हैं । प्रणाली अपने घटक के संयोजन पर अस्तित्व में आती है। ऐसी स्थिति में 'वस्तुओं' का कोई निर्माण नहीं होता क्योंकि यह केवल विनिर्मित वस्तुओं को एक प्रणाली में संयोजित करने का मामला है। इसकी तुलना उस निर्माण से नहीं की जा सकती है जहां मशीनों के एक समूह को एक नई मशीन बनाने के लिए जोड़ा जाता है जिसकी अपनी पहचान / विपणन क्षमता है और शुल्क योग्य है ।

(ड) यदि मौके पर एकत्रित या खड़ी की गई और नींव से जुड़ी हुई वस्तुओं को उसके घटकों को पर्याप्त क्षति पहुंचाए बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार उन्हें फिर से जोड़ा नहीं जा सकता है, तो वस्तुओं को चलनीय नहीं माना जाएगा और इसलिए, वे उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु नहीं होंगी।

[चरण 6] [705-बी-एच; 706-ए]

क्वालिटी स्टील ट्यूब्स प्रा. लिमिटेड बनाम सीसीई, (1995) 75 ई.एल.टी. 17 (एससी); मित्तल इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमिटेड बनाम सीसीई, मेरठ, (1996) 88 ई.एल.टी 622 एससी; सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, हैदराबाद, (1998) 97 ई.एल.टी 3 एससी; सिलिका मेटलर्जिकल लिमिटेड बनाम सीसीई, कोचीन (1999) 106 ई.एल.टी 439 (अधिकरण); डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, मुंबई, (2000) 88 ईसीऔर 19 एससी; त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, (2000) 120 ई.एल.टी 273 एससी; सीसीई, जयपुर बनाम मैन स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, (2001) 130 ई.एल.टी 401 और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर बनाम मैसर्स विरदी ब्रदर्स एवं अन्य, (2006) 14 स्केल 115, पर भरोसा किया गया।

8. चूंकि उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय अधिकरण द्वारा बुनियादी तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था। यह न्यायालय विर्दी ब्रदर्स एवं अन्य के फैसले व परिपत्र के आलोक में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए उसके पास भेजना उचित समझता है।

[चरण 8] [706-जी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5391-5393/2002

अपील संख्या ई/469, 470 एवं 1047 वर्ष 2001 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, दक्षिण क्षेत्रीय पीठ चेन्नई के अंतिम आदेश संख्या 100-102/2002 दिनांक 28.01.2002 से उत्पन्न एवं सी.ए. संख्या 6533-6534/2002, 4100/2003 और डी.3447/2006

डॉ. जी. पाडिया, वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन प्रकाश, अजय शर्मा, विक्रम गुलाटी एवं बी. कृष्णा प्रसाद वास्ते अपीलार्थी।

एम.पी. देवनाथ, सुधीर कुमार गुप्ता, शोभा एवं राजेश कुमार वास्ते प्रत्यर्थी।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति के द्वारा

दिया गया -

1. इन सभी अपीलों में समान प्रश्न शामिल हैं और इसलिए इनको विचार के लिए एक साथ लिया गया है ।

2. इन सभी अपीलों में सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में 'सीईजीएटी') द्वारा पारित अंतिम आदेश को चुनौती दी गई है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विभिन्न घटकों और हिस्सों को जोड़कर मौके पर बाँयलर के निर्माण से अचल संपत्ति अस्तित्व में आई है या नहीं, यह सिविल अपील संख्या 5391-5393 वर्ष 2002, 4100 वर्ष 2003 और 3447 वर्ष 2006 में निहित मुद्दा है । सिविल अपील नंबर 6533 - 34 वर्ष 2002 में झिल्ली सेल प्रौद्योगिकी और सिविल अपील नंबर 4156 विलायक निष्कर्षण संयंत्र से संबंधित है । अपीलकर्ता का पक्ष यह है कि खरीद की गई वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करके ऐसे सयन्त्रों का निर्माण एक नई विपणन योग्य वस्तु के निर्माण के समान है और इसलिए उत्पाद शुल्क देय है।

3. सीईजीएटी ने माना कि कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जा सकता है और इस प्रकार ये संयंत्र उत्पाद शुल्क के अधीन नहीं हैं। इसने उत्तरदाताओं के इस रुख को स्वीकार किया कि ये संयंत्र मूल रूप से विभिन्न घटकों से युक्त प्रणाली हैं और इस प्रकार प्रणाली की

प्रकृति में हैं और पूरी तरह से मशीनें नहीं हैं। तदनुसार, ऐसी प्रणालियों को समग्र रूप से उत्पाद शुल्क योग्य वस्तु नहीं माना जा सकता है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुसार, सीईजीएटी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अस्थिर है। निर्णायक प्राधिकारी का यह मानना उचित था कि खरीदी गई वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान से संबंधित संयंत्रों का निर्माण एक नई विपणन योग्य वस्तु के निर्माण के समान है और इसलिए शुल्क योग्य है।

5. मौके पर इकट्ठे किए गए संयंत्रों और मशीनरी की उत्पादनीयता से संबंधित मुद्दा इस न्यायालय द्वारा कई मामलों में निर्धारित किया गया है, उदाहरण के लिए क्वालिटी स्टील ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम सीसीई, (1995) 75 ई.एल.टी 17 एससी, मित्तल इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमिटेड बनाम सीसीई, मेरठ (1996) 88 ई.एल.टी 622 एससी; सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, हैदराबाद, (1998) 97 ई.एल.टी 3 एससी; सिलिका मेटलर्जिकल लिमिटेड बनाम सीसीई, कोचीन, (1999) 106 ई.एल.टी 439 (अधिकरण); डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, मुंबई, (2000) 88 ईसीऔर 19 एससी; त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, (2000) 120 ई.एल.टी 273 एससी और सीसीई, जयपुर बनाम

मैन स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, (2001) 130 ई.एल.टी 401 (एस.सी.)

6. वास्तव में इन निर्णयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली द्वारा परिपत्र बी संख्या 58/1/2002 - सीएक्स दिनांक 15 जनवरी, 2002 जारी किया गया है। इस परिपत्र का उद्देश्य मौके पर इकट्ठे किए गए संयंत्र और मशीनरी की उत्पाद शुल्क योग्यता के प्रश्न को स्पष्ट करना था। परिपत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है :

"भारत सरकार

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली

विषय : मौके पर इकट्ठे किए गए संयंत्र और मशीनरी की उत्पादनीयता के संबंध में।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37 बी के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड मौके पर निर्मित और स्थापित की गई वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में एकरूपता के उद्देश्य से निम्न निर्देश जारी किया जाना आवश्यक समझता है।



2. मौके पर मौजूद एवं जोड़कर तैयार किये गये संयंत्रों की उत्पादनीयता के संबंध में धारा 37बी आदेश संख्या 53/2/98-सीएक्स, दिनांक 2.4.98 (एफ.नं. 154/4/98-सीडी. 4) (1998 (100 ई.एल.टी.टी9) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

3. हाल ही में इस मुद्दे पर शीर्ष अदालत के कई फैसले सुनाए गए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नीचे उल्लिखित हैं :-

(i) क्वालिटी स्टील ट्यूब्स प्रा. लिमिटेड बनाम सीसीई, (1995) 75 ई.एल.टी 17 एससी;

(ii) मित्तल इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लिमिटेड बनाम सीसीई, मेरठ, (1996) 88 ई.एल.टी 622 (एससी);

(iii) सिरपुर पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम सीसीई, हैदराबाद, (1998) 97 ई.एल.टी 3 (एससी);

(iv) सिलिका मेटलर्जिकल लिमिटेड बनाम सीसीई, कोचीन, (1999) 106 ई.एल.टी 439 (अधिकरण) जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.2.99 (1999 (108) ईएलआई ए 58 (एससी) द्वारा पुष्टि की है);

(v) डंकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीसीई, मुंबई, (2000)

88 ईसीओर 19 (एससी);

(vi) त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम

सीसीई, (2000) 120 ईएलटी 273 (एससी);

(vii) सीसीई, जयपुर बनाम मैन स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड,

(2001) 130 ईएलटी 401 (एससी);

4. अनेक निर्णयों ने मूल्यांकन अधिकारियों के बीच कुछ भ्रम पैदा कर दिया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के परामर्श से बोर्ड द्वारा मामले का परीक्षण किया गया और मामले को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :-

अ. मौके पर निर्मित वस्तुओं को शुल्क योग्य बनाने के लिए उनकी एक नई पहचान, प्रकार और उपयोग होना चाहिए, जो इसके उत्पादन में लगे प्रयुक्त/घटकों से अलग हो। इसके अलावा, ऐसी परिणामी वस्तुओं को विपणन योग्य होने के अलावा केंद्रीय उत्पाद शुल्क सूची में उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के रूप में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए अर्थात् उन्हें बाजार में ले जाया व बेचा जा सकता हो (भले ही वे वास्तव में बेचे न गए हों)। वस्तुएं अचल नहीं होनी चाहिए।

ब. जहां प्रयुक्त प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप एक अलग वाणिज्यिक नाम, पहचान और उपयोग वाला नया उत्पाद प्राप्त होता है (ऐसे उत्पाद को एक संरचना में समाहित करने से पहले जो उन्हें अचल संपत्ति के हिस्से के रूप में प्रस्तुत करेगा), ऐसी वस्तुओं की पहचान में बदलाव होने और संरचना या अन्य अचल संपत्ति में उनके आत्मसात होने से पहले उस पर तुरंत उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।

स. जहां किसी संरचना के निर्माण या संनिर्माण के दौरान पहचान में परिवर्तन होता है, जो एक अचल संपत्ति है, तो इसमें "वस्तुओं" का कोई निर्माण नहीं होगा और कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा ।

द. एकीकृत संयंत्र/मशीनें समग्र रूप से 'माल' हो भी सकती हैं और नहीं भी। उदाहरण के लिए, सामग्री के परिवहन के लिए संयंत्र (जैसे संभालने के उपकरण) वास्तव में मशीनों का एक प्रणाली या जालतंत्र हैं। प्रणाली अपने घटकों के संयोजन पर अस्तित्व में आती है। ऐसी स्थिति में 'वस्तुओं' का कोई निर्माण नहीं होता क्योंकि यह केवल विनिर्मित वस्तुओं को एक प्रणाली में संयोजित करने का मामला है। इसकी तुलना उस निर्माण से नहीं की जा सकती है जहां

मशीनों के एक समूह को एक नई मशीन बनाने के लिए जोड़ा जा सकता हो और उसकी अपनी अलग पहचान/विपणन योग्यता होती हो और वह शुल्क योग्य होता है (उदाहरण के लिए एक कागज बनाने की मशीन को मौके पर संयोजित किया जाता है और केवल कंपनी मुक्त गति सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जमीन पर लगायी गयी हो)

य. यदि साइट पर एकत्रित या खड़ी की गई और नींव से जमीन से जुड़ी हुई वस्तुओं को उसके घटकों को पर्याप्त क्षति पहुंचाए बिना नष्ट नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार उन्हें फिर से जोड़ा नहीं जा सकता है, तो वस्तुओं को चलने योग्य नहीं माना जाएगा और इसलिए, वे उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुएं नहीं होंगी।

5. उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के ध्यान में लाए गए विशिष्ट उदाहरणों के संबंध में स्थिति को और स्पष्ट किया जाता है।

(iii) प्रशीतन/वातानुकूलित संयंत्र- ये मूल रूप से कंप्रेसर, डक्टिंग, पाइपिंग, इंसुलेटर और कभी-कभी कूलिंग टावर आदि से युक्त प्रणाली हैं। ये प्रणाली की प्रकृति में हैं और पूरी तरह से मशीनें नहीं हैं। वे विभिन्न घटकों और भागों

के संयोजन और जोड़ने से ही अस्तित्व में आते हैं। यद्यपि प्रत्येक घटक शुल्क योग्य है, प्रशीतन/वातानुकूलित प्रणाली को समग्र रूप से उत्पाद शुल्क योग्य सामान नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, वातानुकूलित इकाइयाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क सूची के अनुसार शुल्क योग्य बनी रहेंगी।

6. उपरोक्त स्पष्टीकरण के आधार पर लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है। इस मुद्दे पर बोर्ड के पिछले निर्देशों, परिपत्रों और आदेशों को उपयुक्त रूप से संशोधित माना जा सकता है ।

7. व्यापार की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए उपयुक्त व्यापारिक नोटिस जारी किया जा सकता है।

8. कृपया इस आदेश की प्राप्ति की सूचना दी जाए ।

9. हिंदी संस्करण अनुसरण करेगा।"

7. इन पहलुओं को केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर बनाम मैसर्स विरदी ब्रदर्स एवं अन्य।, (2006) 14 स्कैल 115] में रेखांकित किया गया था ।

8. चूंकि सीईजीएटी द्वारा बुनियादी तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार नहीं किया गया था, इसलिए हम विरदी ब्रदर्स और अन्य के

फैसले व उपरोक्त वर्णित परिपत्र के आलोक में मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

9. खर्च के बारे में कोई आदेश ना करते हुए अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अपीलें निस्तारित की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, न्यायिक अधिकारी सुनील कुमार गोयल (आर. जे. एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।